कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2013/1070-72 दिनांक :- 13/12/2013

निमित्त :-

श्री अलौकिक जैन
निदेशक,
यश अक्षय बिल्डर्स एवं डवलपर्स प्रा०लि०
रामपुरा, कोटा(राज०)

विषय :- खसरा नं0 466/2, 3, 4 ग्राम रामचन्द्रपुरा के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 10-07-2013 में लिये गए निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं :-

1. प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार बी + बी + स्टिल्ट + 9 की स्वीकृति चाही गई है, जो सैद्धांतिक रूप से देय है, किन्तु कार्यालय आदेश क्रमांक 431-442 दिनांक 27-04-2006 के अनुसार प्रथम चरण में बी + बी + स्टिल्ट + 1 (अधिकतम 8.0 मीटर) की स्वीकृति ही जारी की जा रही है।
2. स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर "राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 91 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को न्यास द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
3. पार्किंग सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में बेसमेंट एवं स्टिल्ट फ्लोर में दर्शाये अनुसार की जानी होगी तथा आप द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार पार्किंग क्षैत्र को अन्य उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
4. पार्किंग लिफ्ट ईत्यादी सुविधा क्षैत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित् करनी होगी।
5. पार्किंग क्षैत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा। इसे पार्किंग हेतु खुला रखा जावेगा। अन्यथा न्यास आपके खर्चे पर बिना पूर्व सूचना पार्किंग क्षैत्र में किये गए निर्माण को ध्वस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।
6. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। निम्न हस्ताक्षरकर्ता किसी भी स्थिति में इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियन्ता की देख-रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित वास्तुविद् द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं दिये गए अण्डरटेकिंग के अनुसार भूकम्प हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी होगी।
7. यह स्वीकृति भवन निर्माण के लिये दी जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में इसे भूखण्ड स्वामित्व साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
8. अग्नि शमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा द्वारा अग्निशमन के सम्बन्ध में जारी अस्थाई अनापत्ति दिनांक 07-05-2013 में उल्लेखित शर्तों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।
9. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जलस्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हारवेस्टिंग व्यवस्था (5 यूनिट) का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
10. प्लिन्थ लेवल पर निर्माण के पश्चात् न्यास को सूचित करना होगा। न्यास द्वारा मौके पर निर्माण की जांच उपरान्त प्लिन्थ का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर पत्र जारी करने के उपरान्त आगामी निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार किया जा सकेगा। प्रथम चरण की स्वीकृति अनुसार निर्माण पाये जाने पर द्वितीय चरण में कुल बी + बी + स्टिल्ट + 9 (स्टिल्ट + 27 मीटर) की निर्माण स्वीकृति प्रदान की जावेगी।
11. स्वीकृत मानचित्र में दर्शित इन्फोरमल कॉमर्शियल का निर्माण कर न्यास को सूचित करना होगा तथा इस बाबत् राज्य सरकार द्वारा 'जनसाथी रोजगार योजना' में निर्धारित नियम/शर्तो की पालना करनी होगी।

BaNsl jl (87)

Scanned by CamScanner

12. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 150 वर्गमीटर क्षैत्र के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक उंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे।
13. भवन की संरचना डिजाईन भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल इन्जिनियर से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. मनचित्र में दर्शाये गए व्यवसायिक क्षेत्र हेतु पृथक से विस्तृत प्लान स्वीकृत करवाया जाना होगा।
15. समय-समय पर राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
16. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.10(154)न.वि.वि./3/80 दिनांक 04-11-2008 की पालना की जानी होगी।
17. जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा द्वारा जारी पत्र दिनांक 24-05-2013 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी। (संलग्न)
18. मानचित्र में दर्शाये गए अनुसार सौर उर्जा का प्रावधान किया जाना होगा।
19. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स/निवास इकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।
20. स्थानघर तथा रसाई के अपशिष्ट जल (Waste Water) के शुद्धिकरण हेतु रीसाईक्लिंग की व्यवस्था की जानी होगी। इस शुद्धिकृत जल का उपयोग बागवानी हेतु किया जावेगा। जल के शुद्धिकरण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था व्यवस्था करनी होगी :-
    (i) सेटलिंग (Settling-Tank) टैंक का निर्माण- सम्भावित अपशिष्ट जल की मात्रा से दुगनी क्षमता का टैंक बनाना होगा।
    (ii) शुद्धीकरण (Disinfection) हेतु क्लोरिन अथवा आयोडिन का उपयोग किया जायेगा।
    (iii) फिल्टर (Filters) अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार फिल्टर लगाना होगा जो कि एक्टीव चारकोल, सेलूलोज, शिरामिक कॅटेरेज (Activated Charcoal, Cellulose or ceramic cartridge.) के उपयुक्त होगें। इस प्रकार के अपशिष्ट जल के लिए पृथक पाईप लाईन उपलब्ध करानी होगी। यह किसी भी दिशा में सीवर लाईन से नहीं मिलाई जायेगी। इस प्रकार शुद्धीकृत जल का उपयोग पीने के पानी के रूप में नहीं किया जायेगा। उक्त व्यवस्था नहीं करने पर भवन निर्माता से 10/- रूपये प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर प्रतिवर्ष पेनल्टी ली जावेगी।
    (iv) शौचालय के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया जाना होगा।
21. उपरोक्त शर्तों की पालना करने तथा भवन में आवश्यक प्रावधान किये जाने पर एवं अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही अग्निशमन धरोहर राशि की बैंक गारंटी लौटाई जावेगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2013/ दिनांक :- /12/2013

प्रतिलिपि :-
1. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को स्वीकृत मानचित्र अनुसार समय-समय पर निर्माण कार्य की जॉच हेतु।
2. ड्राईंग शाखा को रिकार्ड हेतु।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

BaNsI jI (88)

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2016/3311-22   दिनांक :-10/05/2016

निमित्त :

श्री अलौकिक जैन (निदेशक)
यश अक्षय बिल्डर्स एवं डवलपर्स प्रा0 लि0
रामपुरा कोटा (राज0)

विषय :- खसरा नं0 466/2,3,4 ग्राम रामचन्द्रपुरा हेतु द्वितीय चरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 30/03/2015

कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ 7/एसटीपी/2013/1070-72 दिनांक 13/12/2013 द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार प्रथम चरण में बी + बी + स्टिल्ट + 1 मंजिल की (अधिकतम 8.0 मीटर ऊंचाई में) स्वीकृति जारी की गयी थी। प्रथम चरण की स्वीकृति अनुसार निर्माण पाये जाने पर प्रथम तल से ऊपर के मानचित्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम स्वीकृति दिये जाने का उल्लेख किया गया था। इसके क्रम में आप द्वारा पत्र दिनांक 30/03/15 द्वारा मानचित्र प्रस्तुत कर द्वितीय चरण की शेष स्वीकृति चाही गई है।

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार बी + बी + स्टिल्ट + 1 मंजिल का निर्माण कार्य प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 5/9/2013 के निर्णय अनुसार द्वितीय चरण में द्वितीय तल से नवी मंजिल तक बी + बी स्टिल्ट + 9 मंजिल (अधिकतम स्टिल्ट + 27 मी. ऊंचाई में) की भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य नियम व शर्तें पूर्व पत्र दिनांक 13/12/2013 अनुसार यथावत् रहेंगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2016/   दिनांक :- /04/2016

प्रतिलिपि :-

1. अति0मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता नगर विकास न्यास, कोटा।
2. उप सचिव I/II/III, नगर विकास न्यास, कोटा
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
4. मुख्य लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा
5. संयुक्त श्रम आयुक्त, कलेक्ट्रेट परिसर, कोटा को सूचनार्थ।
6. अधिशाषी अभियन्ता I/II/III/IV को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को भी समय-समय पर जांच हेतु निर्देशित करे।
7. उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
8. सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
9. तहसीलदार प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगर विकास न्यास, कोटा
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा
11. ड्राईंग शाखा को रिकार्ड हेतु।
12. गार्ड फाईल

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

S. Pareek ji 1-8-2015 (26)

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2018/285-97 दिनांक :-26/10/2018
निमित्त :

श्री अलौकिक जैन (निदेशक)
यश अक्षय बिल्डर्स एवं डवलपर्स प्रा0 लि0
रामपुरा कोटा (राज0)

विषय :- खसरा सं0 466/2, 3, 4 ग्राम रामचन्द्रपुरा की निर्माण स्वीकृति के संबंध में।
संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 8/10/18 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदंर्भित कार्यालय पत्र के क्रम में लेख है, कि कार्यालय पत्र दिनांक 10/5/16 के साथ जारी द्वितीय चरण की मानचित्र स्वीकृति में आपके द्वारा प्रस्तुत अनुसार 'Third to Eight Floor' अंकन कर मानचित्र जारी किया गया था। जबकि स्वीकृति पत्र में बी + बी + स्टिल्ट + 9 मंजिल का उल्लेख है। चूंकि प्रथम चरण व द्वितीय चरण की स्वीकृति के समय द्वितीय तल का मानचित्र जारी नहीं हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव अनुसार द्वितीय तल से आठवें तल के मानचित्र में समानता है। अतः पूर्व में जारी मानचित्र में द्वितीय तल का उल्लेख कर पूर्व में जारी स्वीकृति के क्रम में मानचित्र की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। शेष नियम व शर्तें पूर्वोनसुार यथावत रहेगी।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2018/ दिनांक :- /10/2018
प्रतिलिपि :

(1) अति0मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा।
(2) उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगर विकास न्यास, कोटा।
(3) वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा।
(4) मुख्य लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा।
(5) संयुक्त श्री आयुक्त, कलेक्ट्रेट परिसर, कोटा को सूचनार्थ।
(6) अधिशांषी अभियंता प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, को प्रेषित कर लेख है, कि संबंधित कनिष्ठ अभियंता को भी समय-समय पर जांच हेतु निर्देशित करे।
(7) उप नगर नियोजक, विकास न्यास, कोटा।
(8) सहायक नगर नियोजक, विकास न्यास, कोटा।
(9) तहसीलदार प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगर विकास न्यास, कोटा।
(10) वरिष्ठ विधि अधिकार, विकास न्यास, कोटा।
(11) ड्राईग शाखा को रिकार्ड हेतु।
(12) गार्ड फाईल

(आनन्दी लाल वैष्णव)
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

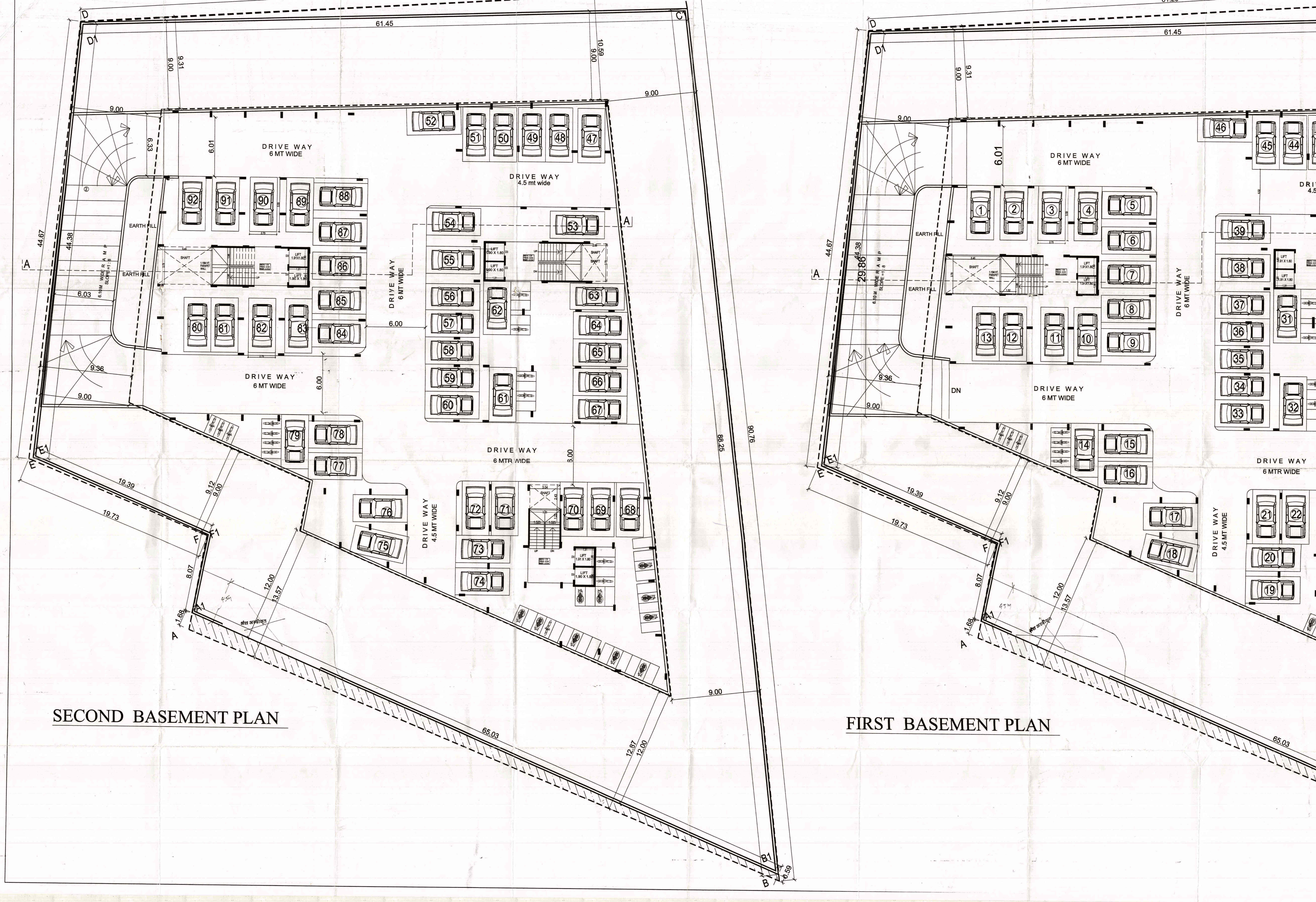

मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार रेन वाटर हारवेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वरिष्ठ प्रारूपकार

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT
LETTER No. ...
DATED 13/12/13

PROJECT :
PLAN SHOWING PROP. RESI. MULTI STOREY BUILDING AT - KHASRA NO. 2,3,4 VILLAGE RAMCHANDRAPURA, TEHSILE- LADPURA DIST.- KOTA

OWNER :
NAME OF OWNER:- M/S YASH AKSHAY BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD., KOTA

DRAWING TITLE :
FIRST AND SECOND BASEMENT PLAN

SHEET NO. - S-01	SCALE = 1:100
SIGN. OWNER	SIGN. ARCHITECT
For Yash Akshay Builders And Developers Pvt. Ltd. Director	Tushar Kothari, Architect CA/2008/42806

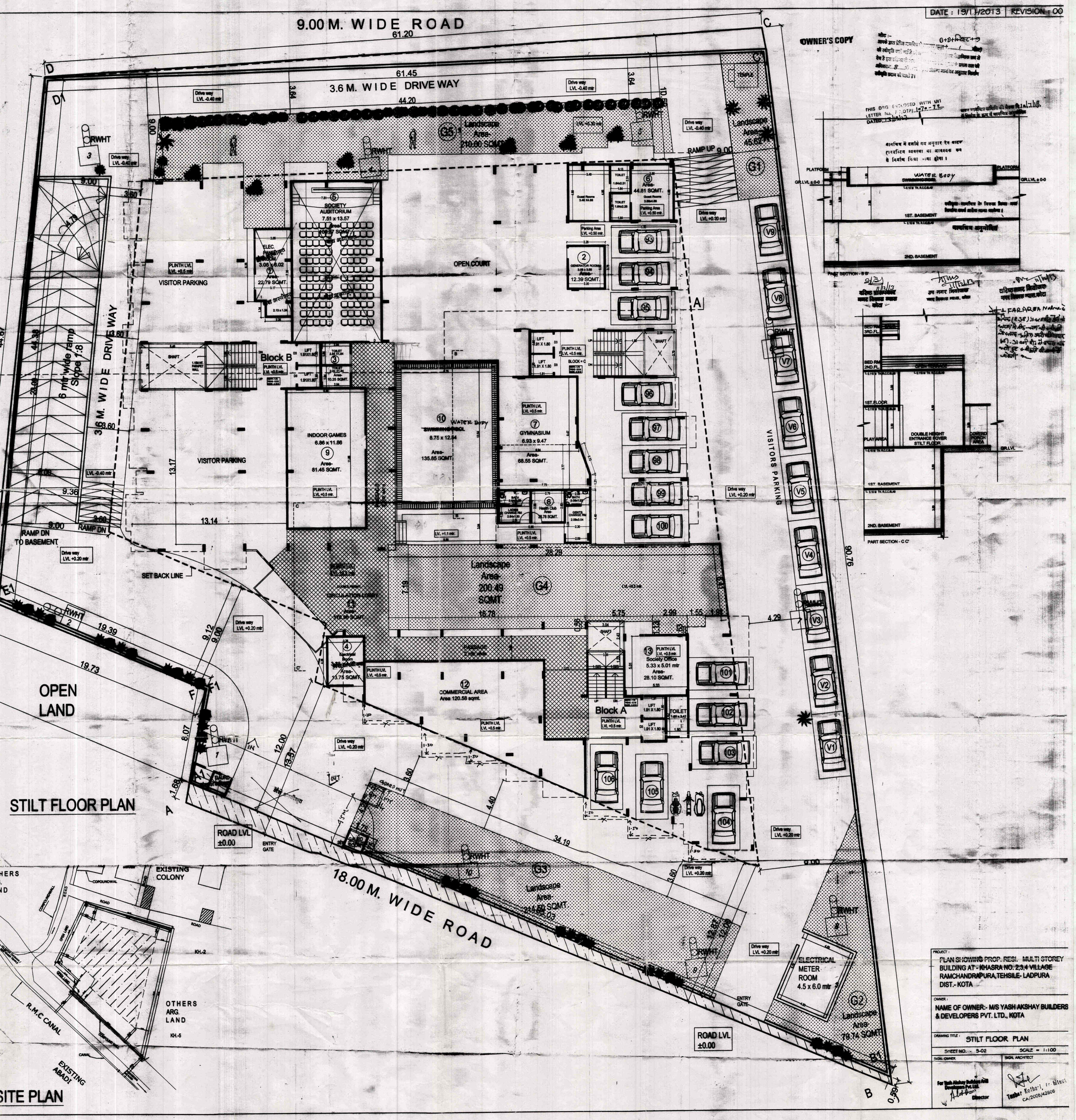

DATE : 19/11/2013 REVISION : 00
OWNER'S COPY
9.00 M. WIDE ROAD
3.6 M. WIDE DRIVE WAY
Landscape Area- 210.00 SQMT.
SOCIETY AUDITORIUM 7.51 x 13.57
VISITOR PARKING
OPEN COURT
GENERATOR ROOMS 12.39 SQMT.
Block B
INDOOR GAMES 6.86 x 11.86 Area- 81.45 SQMT.
6 mtr wide ramp Slope 1:8
3.6 M. WIDE DRIVE WAY
RAMP DN TO BASEMENT
SET BACK LINE
WATER BODY 8.75 x 12.84 Area- 135.85 SQMT.
GYMNASIUM 6.93 x 9.47 Area- 68.55 SQMT.
Landscape Area- 200.49 SQMT.
CIRCULATION LOBBY
COMMERCIAL AREA Area 120.58 sqmt.
Society Office 5.33 x 5.01 mtr Area- 28.10 SQMT.
Block A
VISITORS PARKING
OPEN LAND
STILT FLOOR PLAN
ROAD LVL ±0.00
ENTRY GATE
EXISTING COLONY
18.00 M. WIDE ROAD
Landscape Area- 214.50 SQMT
ELECTRICAL METER ROOM 4.5 x 6.0 mtr
Landscape Area- 79.74 SQMT
OTHERS ARG. LAND
R.M.C CANAL
EXISTING ABADI
SITE PLAN
PART SECTION - B B'
WATER BODY
1ST. BASEMENT
2ND. BASEMENT
DOUBLE HEIGHT ENTRANCE FOYER STILT FLOOR
PART SECTION - C C'
PLAN SHOWING PROP. RESI. MULTI STOREY BUILDING AT:- KHASRA NO. 2,3,4 VILLAGE RAMCHANDRAPURA, TEHSILE- LADPURA DIST.- KOTA
NAME OF OWNER:- M/S YASH AKSHAY BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD., KOTA
DRAWING TITLE: STILT FLOOR PLAN
SHEET NO. - S-02 SCALE = 1:100
Director
Tushar Kothari, Ar. Bitsat CA/2009/42806

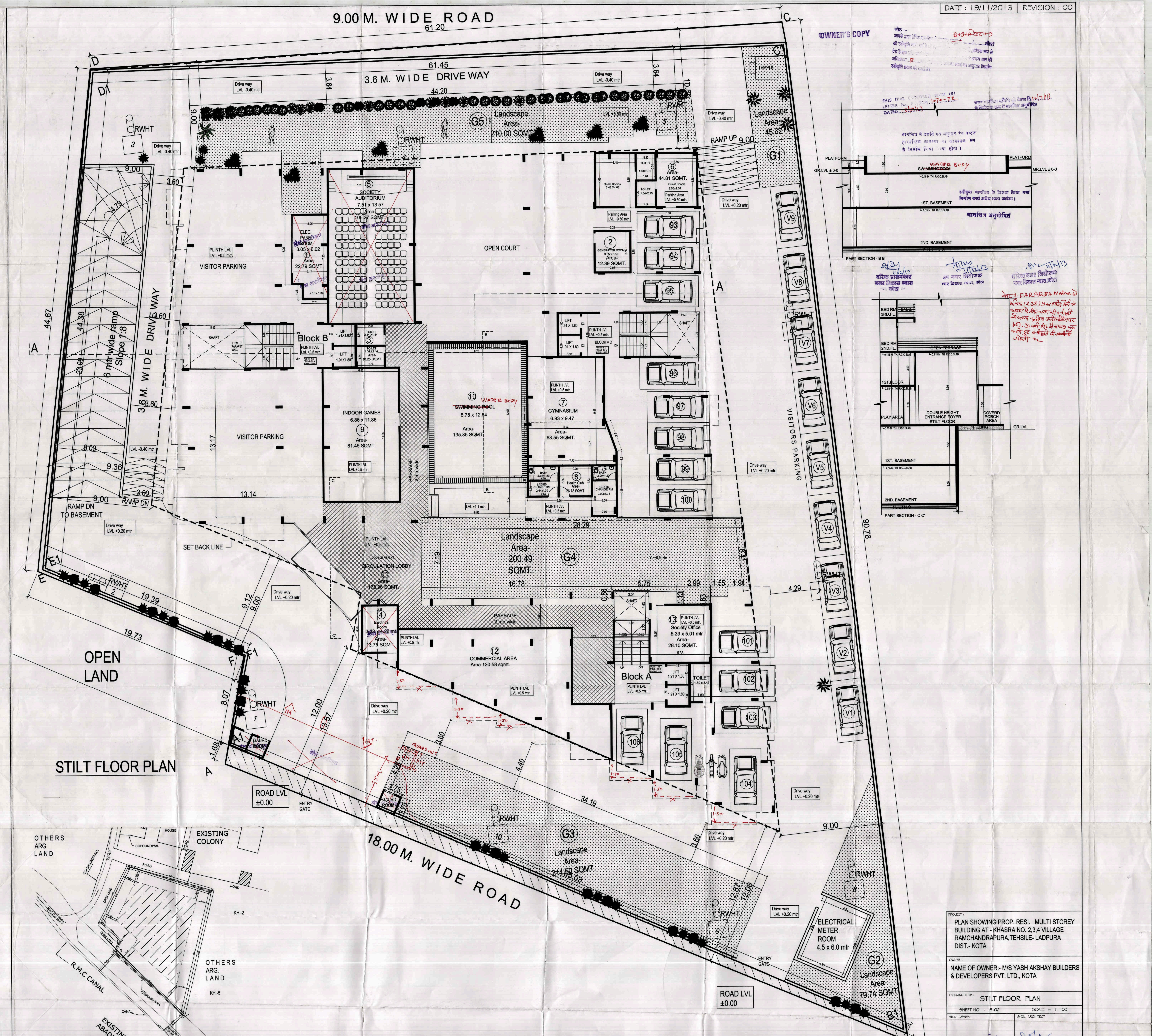
DATE : 19/11/2013
REVISION : 00
OWNER'S COPY
9.00 M. WIDE ROAD
3.6 M. WIDE DRIVE WAY
18.00 M. WIDE ROAD
VISITORS PARKING
OPEN LAND
STILT FLOOR PLAN
EXISTING COLONY
OTHERS ARG. LAND
R.M.C CANAL
SOCIETY AUDITORIUM 7.51 x 13.57
OPEN COURT
VISITOR PARKING
INDOOR GAMES 6.86 x 11.86 Area- 81.45 SQMT.
SWIMMING POOL 8.75 x 12.54 Area- 135.85 SQMT.
GYMNASIUM 6.93 x 9.47 Area- 68.55 SQMT.
Landscape Area- 200.49 SQMT.
Landscape Area- 210.00 SQMT.
Landscape Area- 45.62
Landscape Area- 79.74 SQMT.
CIRCULATION LOBBY
COMMERCIAL AREA Area 120.58 sqmt.
Society Office 5.33 x 5.01 mtr Area- 28.10 SQMT.
ELECTRICAL METER ROOM 4.5 x 6.0 mtr
6 mtr wide ramp Slope 1:8
RAMP DN TO BASEMENT
RAMP UP
SET BACK LINE
Block A
Block B
ROAD LVL ±0.00
ENTRY GATE
PART SECTION - B B'
PART SECTION - C C'
PLAN SHOWING PROP. RESI. MULTI STOREY BUILDING AT - KHASRA NO. 2,3,4 VILLAGE RAMCHANDRAPURA, TEHSILE- LADPURA DIST.- KOTA
NAME OF OWNER:- M/S YASH AKSHAY BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD., KOTA
STILT FLOOR PLAN
SHEET NO. - S-02
SCALE = 1:100

DATE : 19/11/2013 | REVISION : 00

OWNER'S COPY

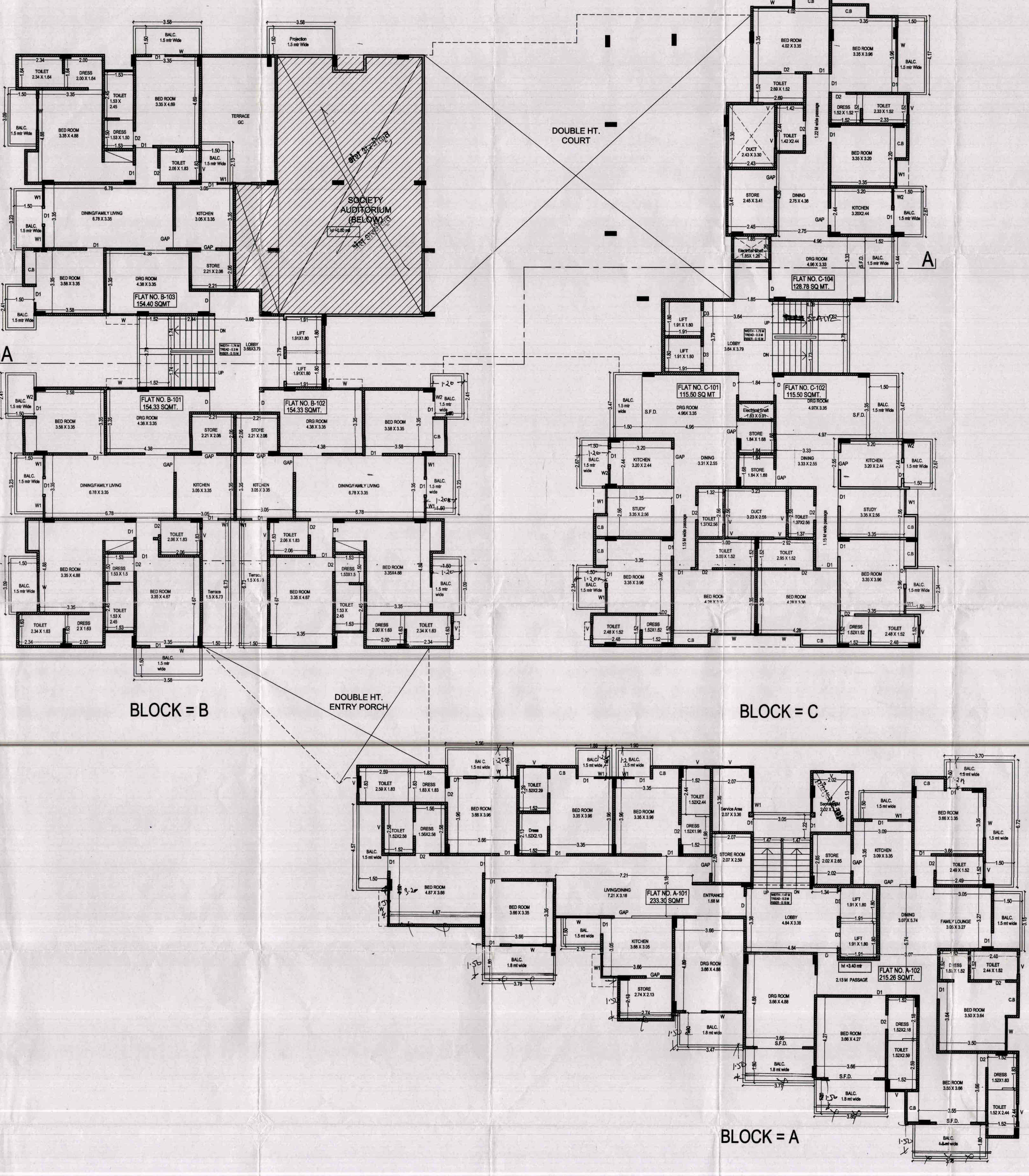

FIRST FLOOR PLAN

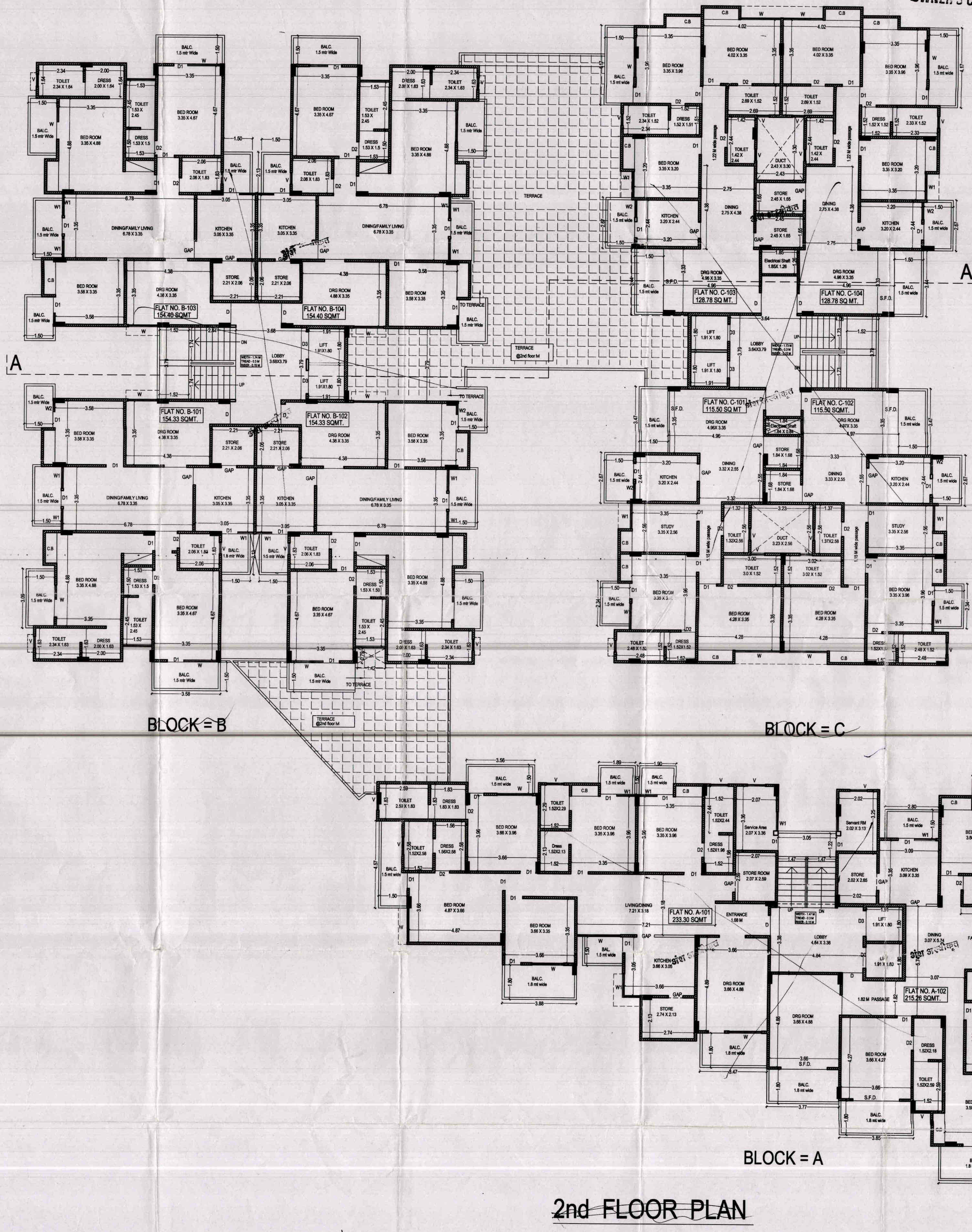

2nd FLOOR PLAN

PROJECT :
PLAN SHOWING PROP. RESI. MULTI STOREY BUILDING AT - KHASRA NO. 2,3,4 VILLAGE RAMCHANDRAPURA, TEHSILE- LADPURA DIST.- KOTA

OWNER :
NAME OF OWNER:- M/S YASH AKSHAY BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD., KOTA

DRAWING TITLE : FIRST & SECOND FLOOR PLAN

SHEET NO. - S-03 | SCALE = 1:100

SIGN. OWNER: For Yash Akshay Builders And Developers Pvt. Ltd. Director

SIGN. ARCHITECT: Tushar Kothari, CA/2008/42806

DATE : 17/12/2015 REVISION : 00

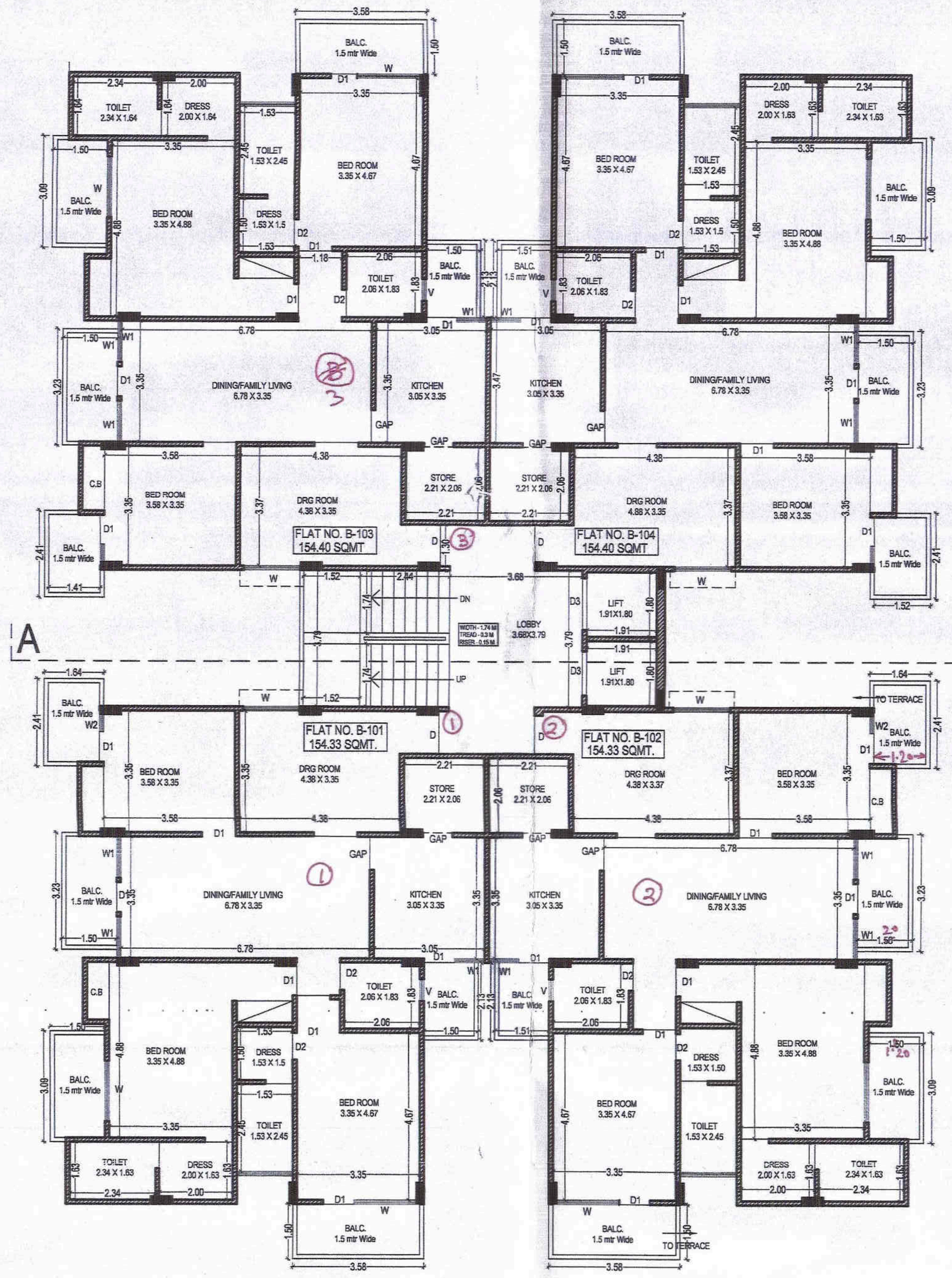

BLOCK = B

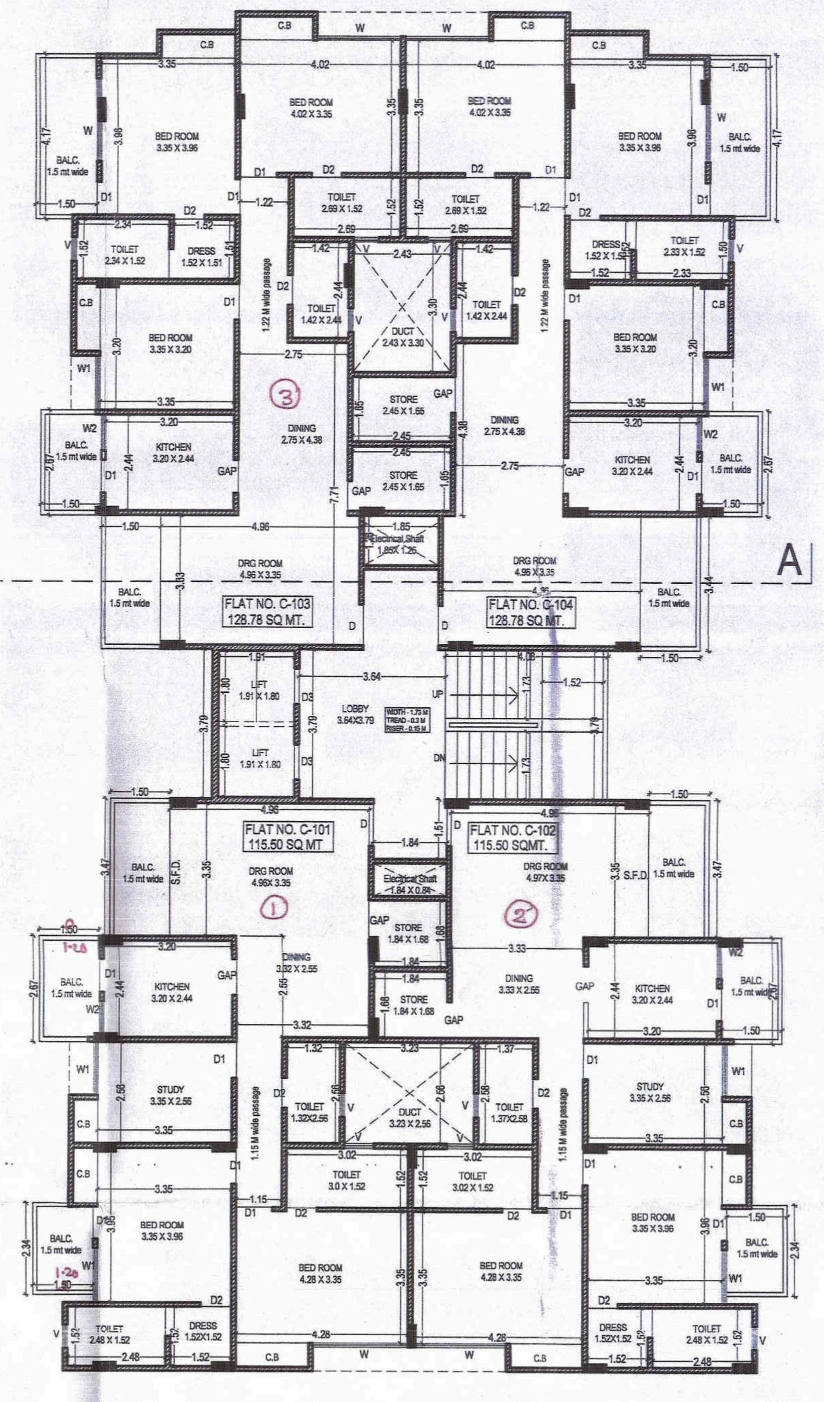

BLOCK = C

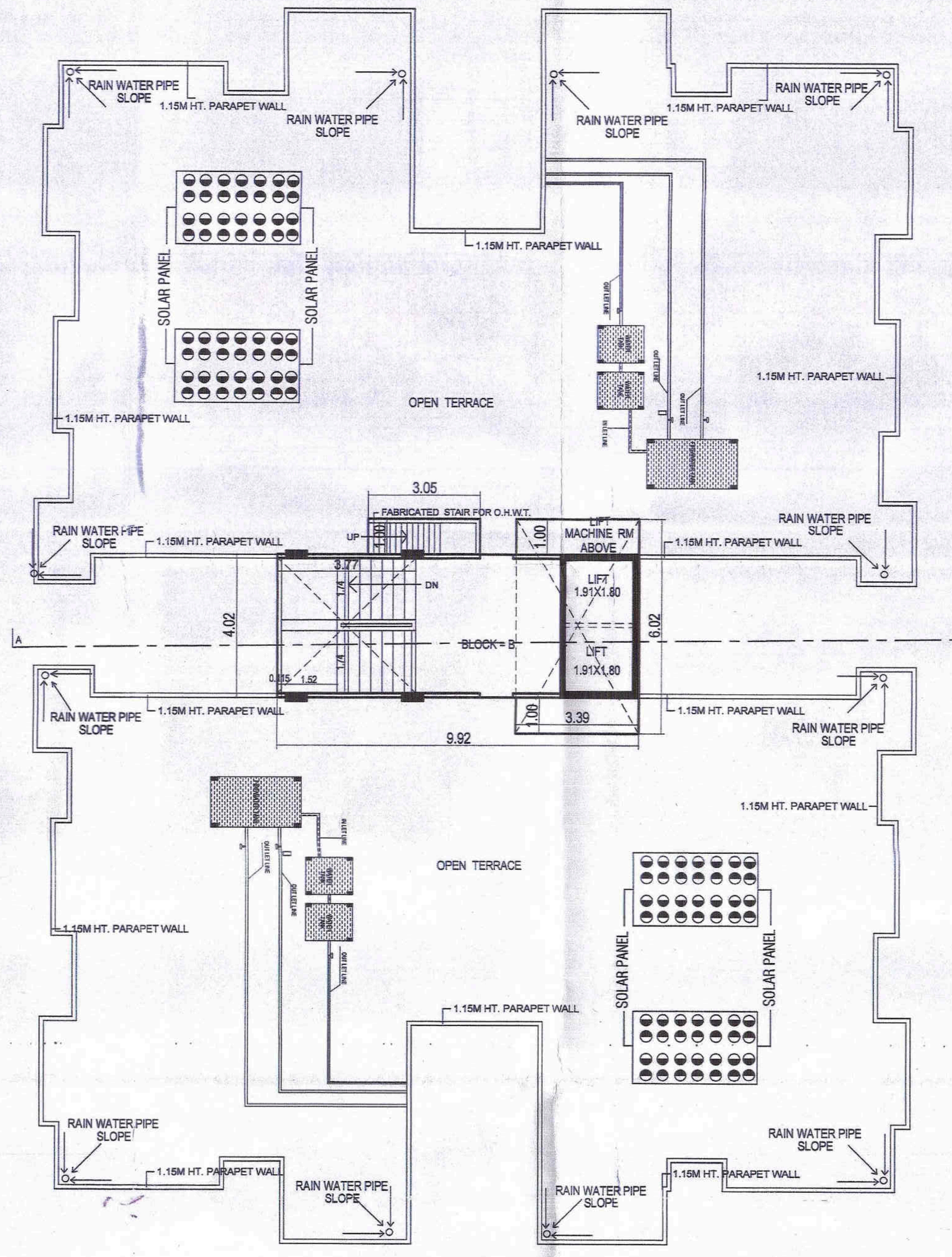

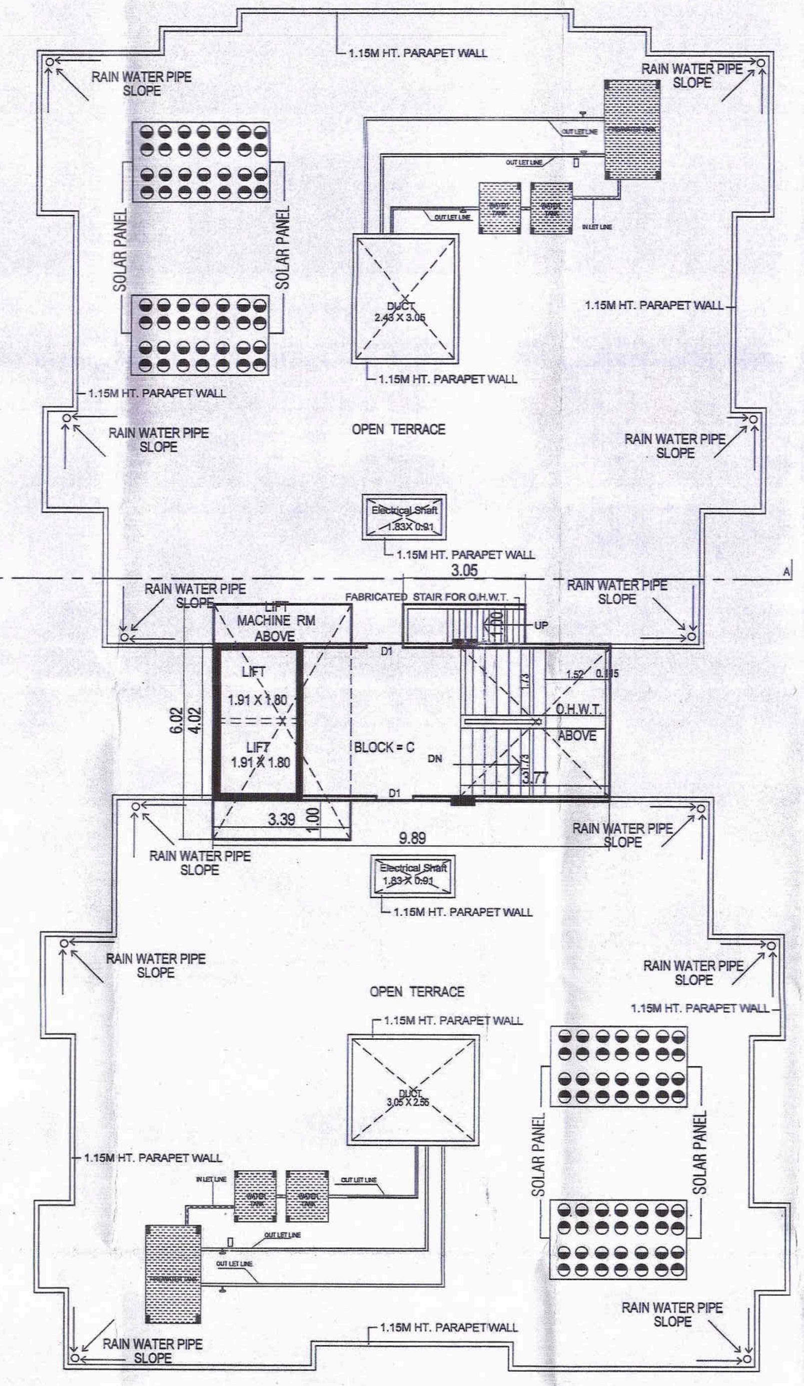

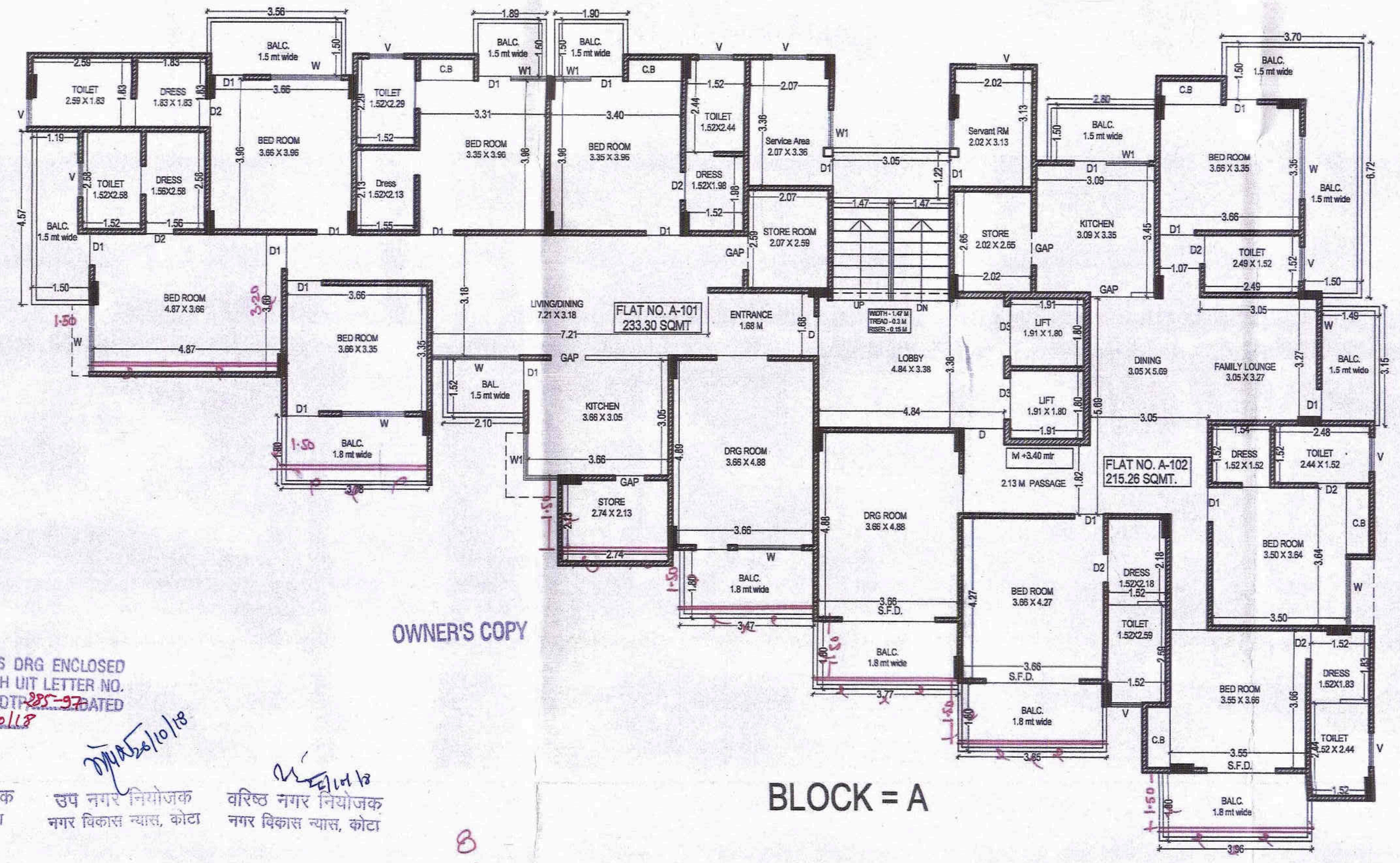

BLOCK = A

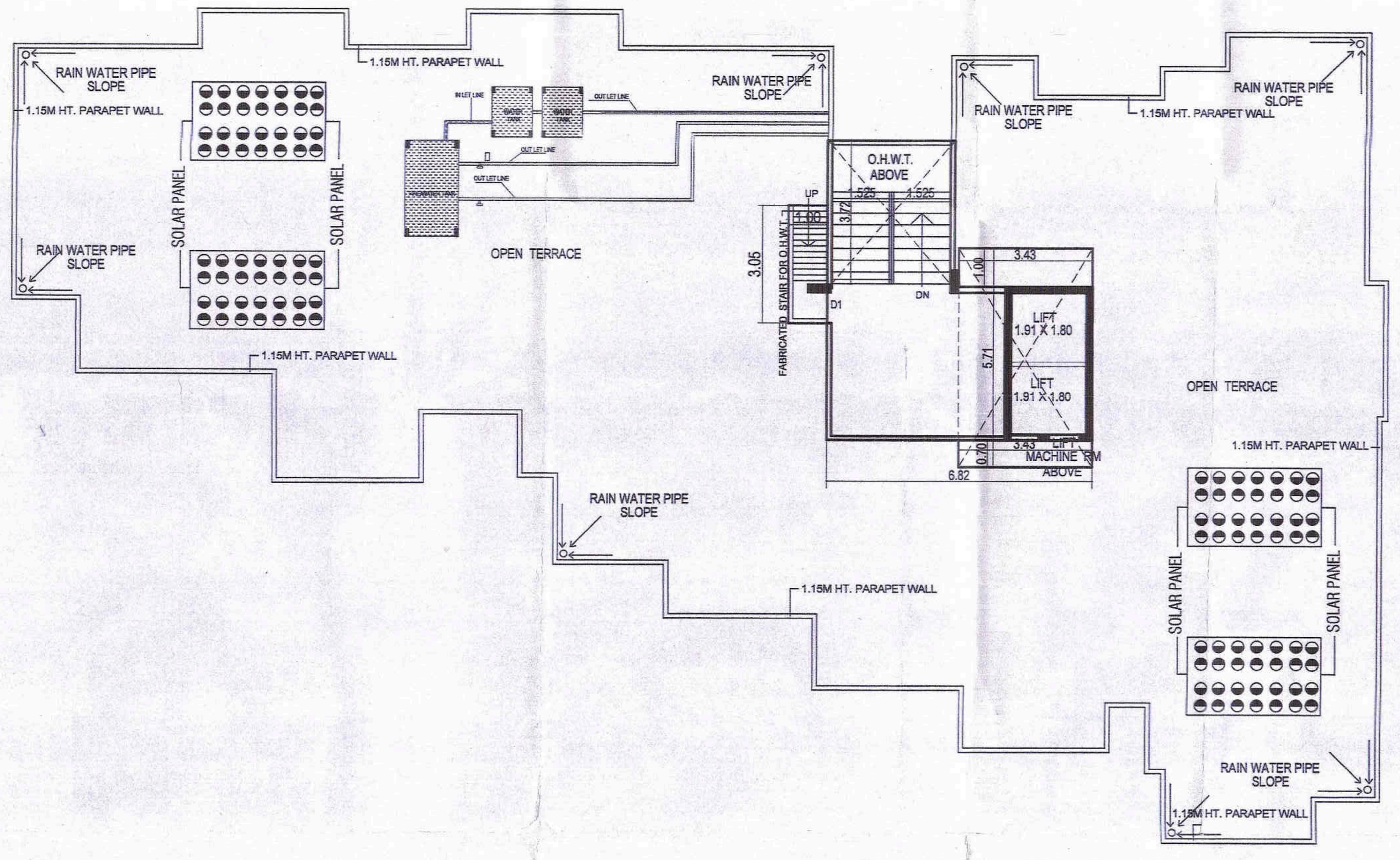

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER No. F7/DTP/3311-22 DATED 10.5.16

भवन मानचित्र समिति की बैठक दि. 5/3/13 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार रे। वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जा होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
कोटा

वर्तमान में द्वितीय मंजिल से नवी मंजिल तक (कुल स्टिल्ट + 27 मीटर ऊंचाई में) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ 7/एस.टी.पी./2016 3311-22 दिनांक 10/5/16 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

OWNER'S COPY

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/ DATED

नगर नियोजक सहायक, नगर विकास न्यास, कोटा — सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

2nd + (3rd FLOOR . TO 8TH. FLOOR PLAN)

OPEN TERRACE, STAIR CABIN, MACHINE RM & O.H.W.T. PLAN

PROJECT :
PLAN SHOWING PROP. RESI. MULTI STOREY BUILDING AT - KHASRA NO. 2,3,4 VILLAGE RAMCHANDRAPURA, TEHSILE- LADPURA DIST.- KOTA

OWNER :
NAME OF OWNER:- M/S YASH AKSHAY BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD., KOTA

DRAWING TITLE : TYPICAL 2nd (3rd TO 9th) & TERRACE FLOOR PLAN

SHEET NO. - S-04 SCALE = 1:100

SIGN. OWNER: For Yash Akshay Builders And Developers Pvt. Ltd. Director

SIGN. ARCHITECT: GAJENDRA KR. YADAV ARCHITECT CA/2012/57394

DATE : 19/11/2013 | REVISION : 00

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT
LETTER No. F.7/DTP/3311-22
DATED 10/5/16

भवन मानचित्र समिति की बैठक दि. 5/9/13
में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये गय अनुसार [illegible] व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध [illegible]

मानचित्र अनुमोदित

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
कोटा

वर्तमान में द्वितीय मंजिल से नवीं मंजिल तक (कुल स्टिल्ट + 27.0 मीटर ऊंचाई में) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ 7/डी.टी.पी./2016 3311-22 दिनांक 10/5/16 में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

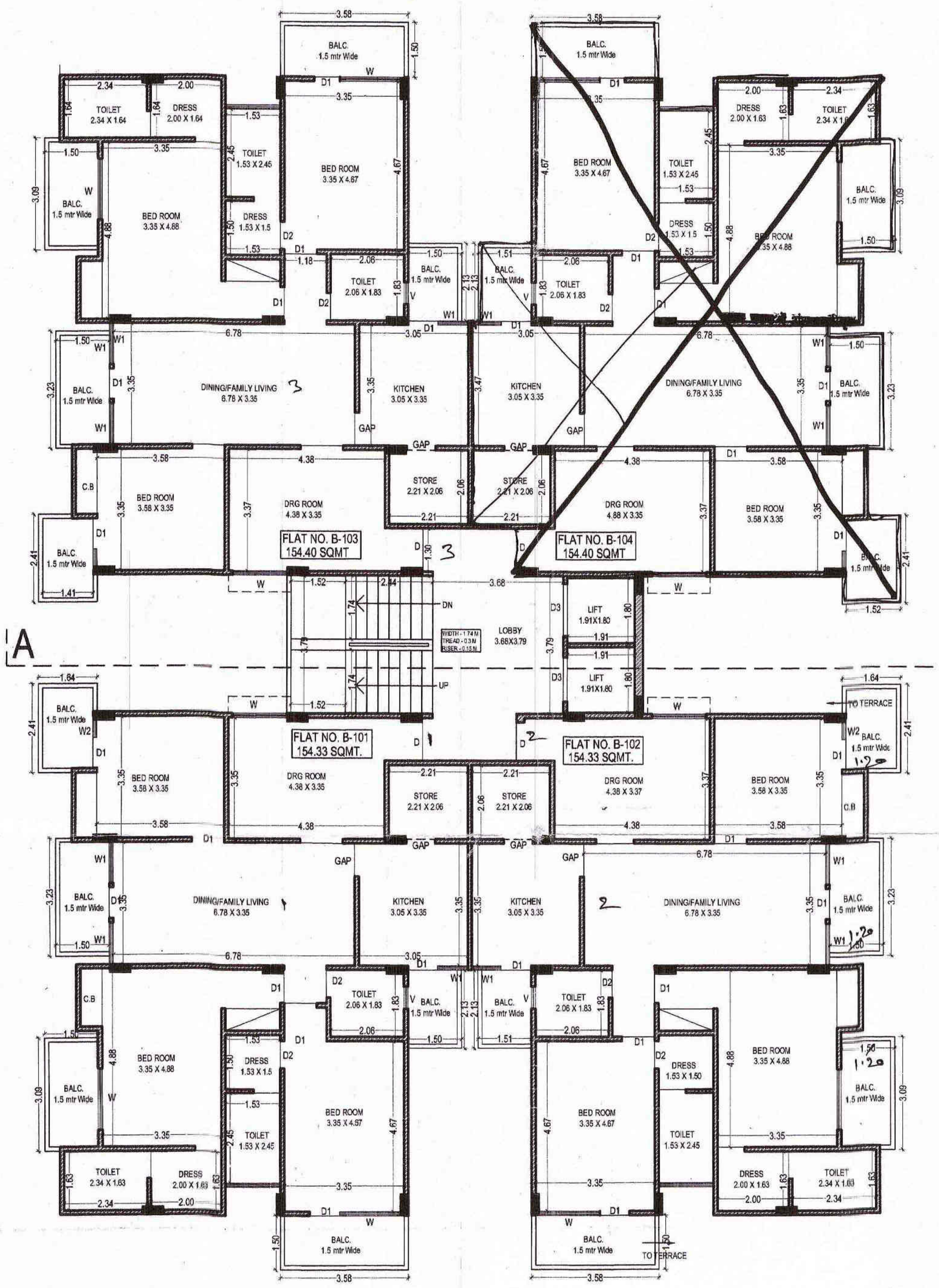

BLOCK = B

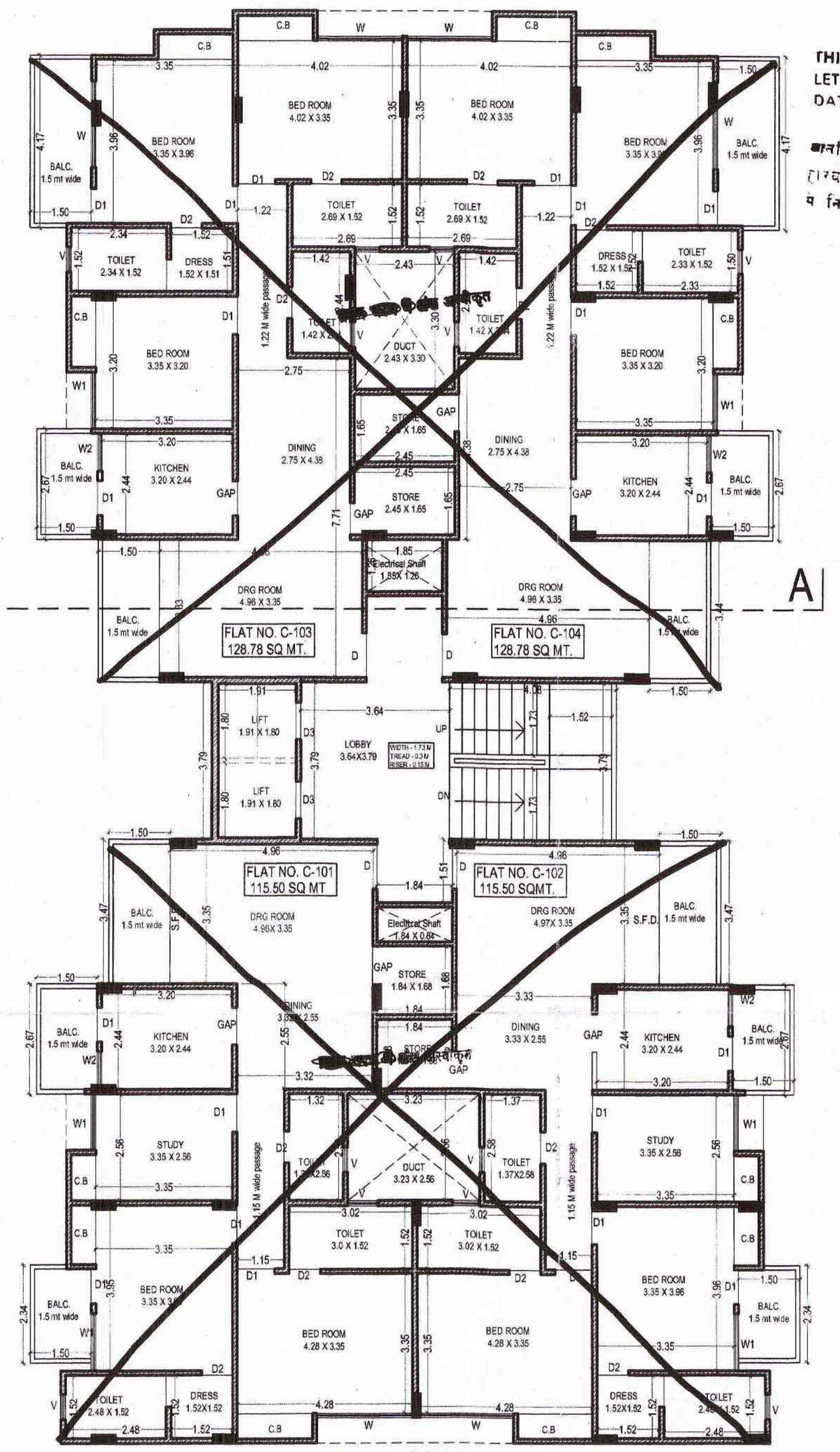

BLOCK = C

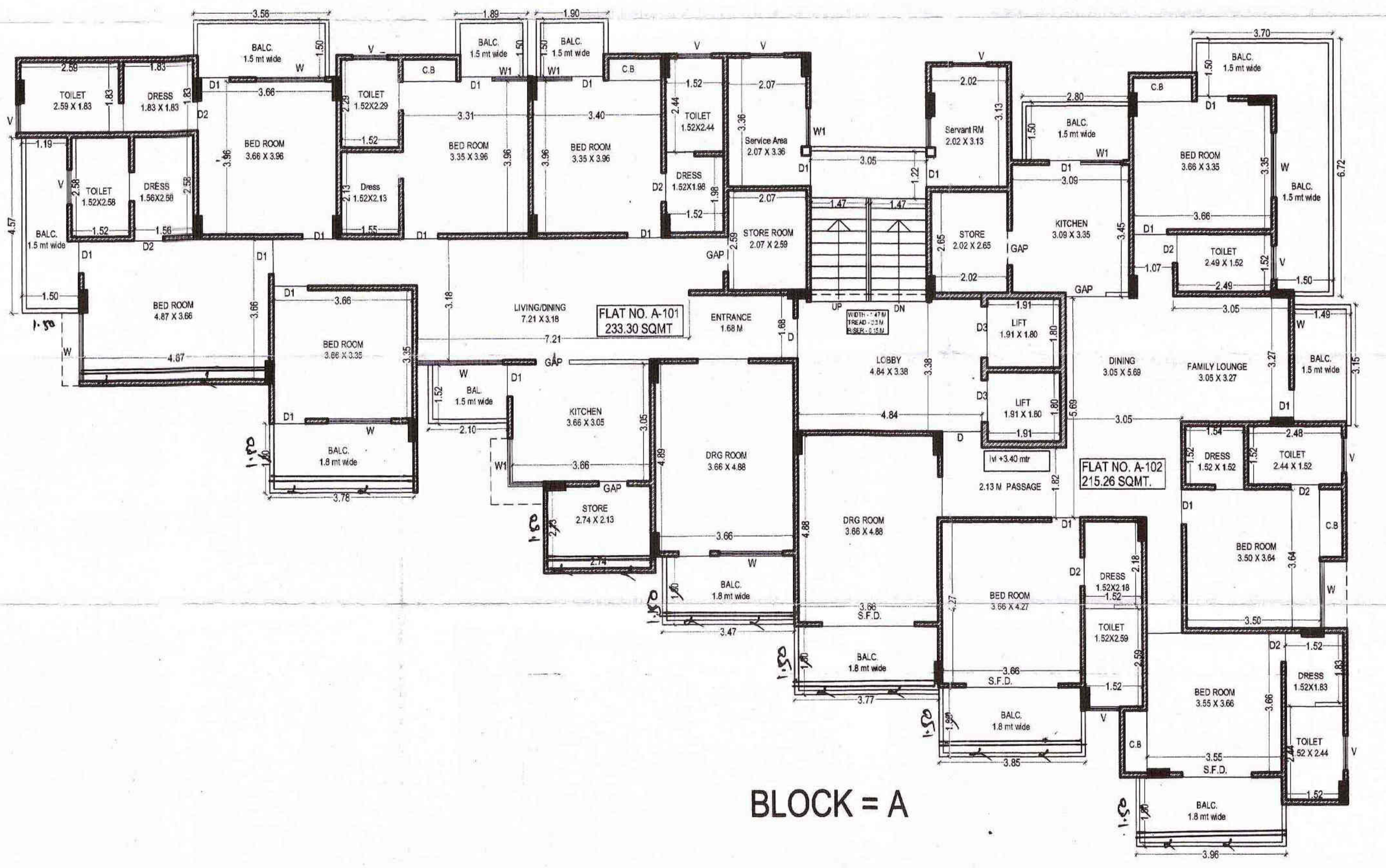

BLOCK = A

9TH. FLOOR PLAN

PROJECT :
PLAN SHOWING PROP. RESI. MULTI STOREY BUILDING AT - KHASRA NO. 2,3,4 VILLAGE RAMCHANDRAPURA, TEHSILE- LADPURA DIST.- KOTA

OWNER :
NAME OF OWNER:- M/S YASH AKSHAY BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD., KOTA

DRAWING TITLE :
9th FLOOR PLAN

SHEET NO. - S-08 | SCALE = 1:100

SIGN. OWNER
For Yash Akshay Builders And Developers Pvt. Ltd.
Director

SIGN. ARCHITECT
GAJENDRA KR. YADAV
ARCHITECT
CA/2012/57394

DATE : 17/12/2015 REVISION : 00

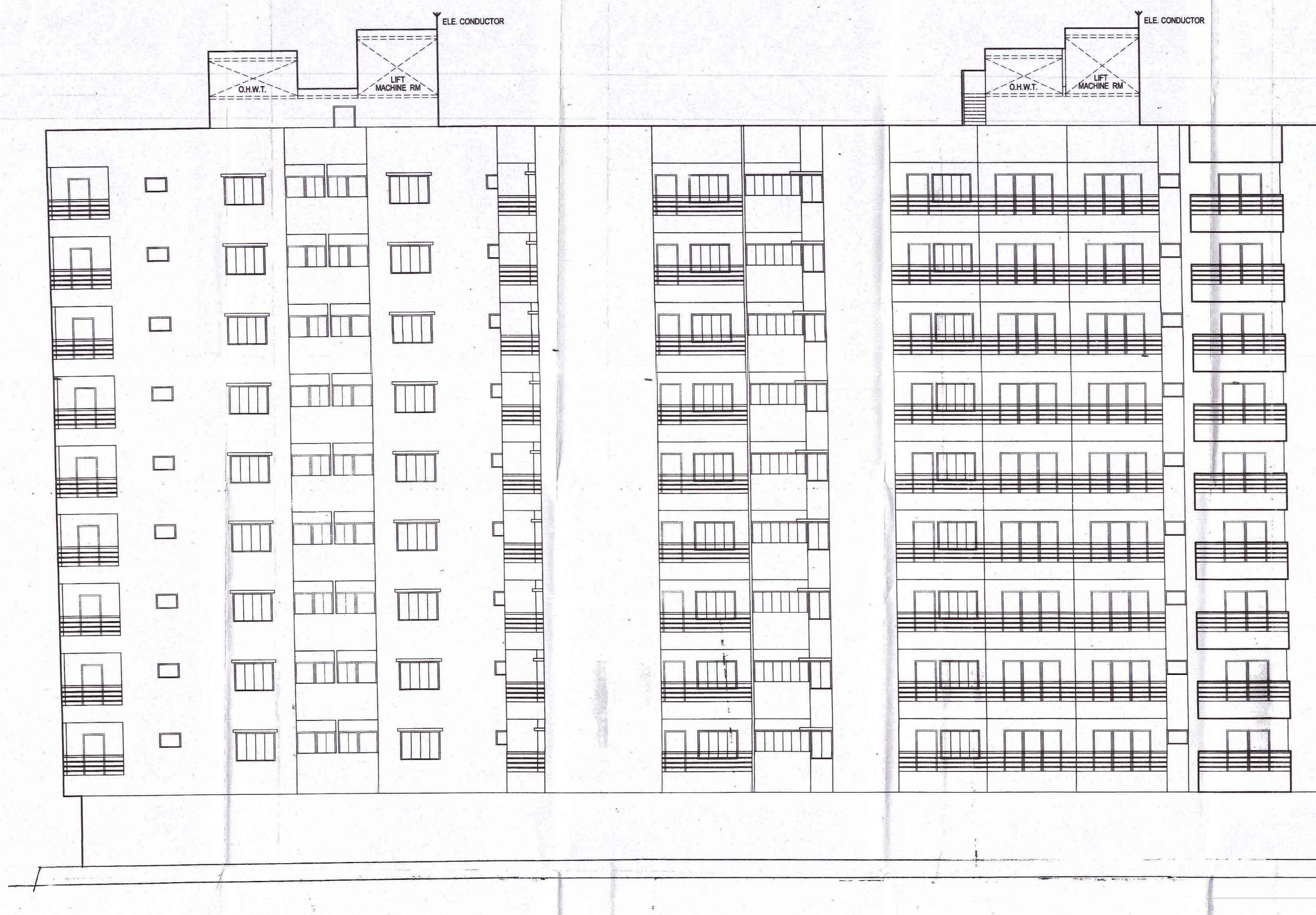

FRONT ELEVATION

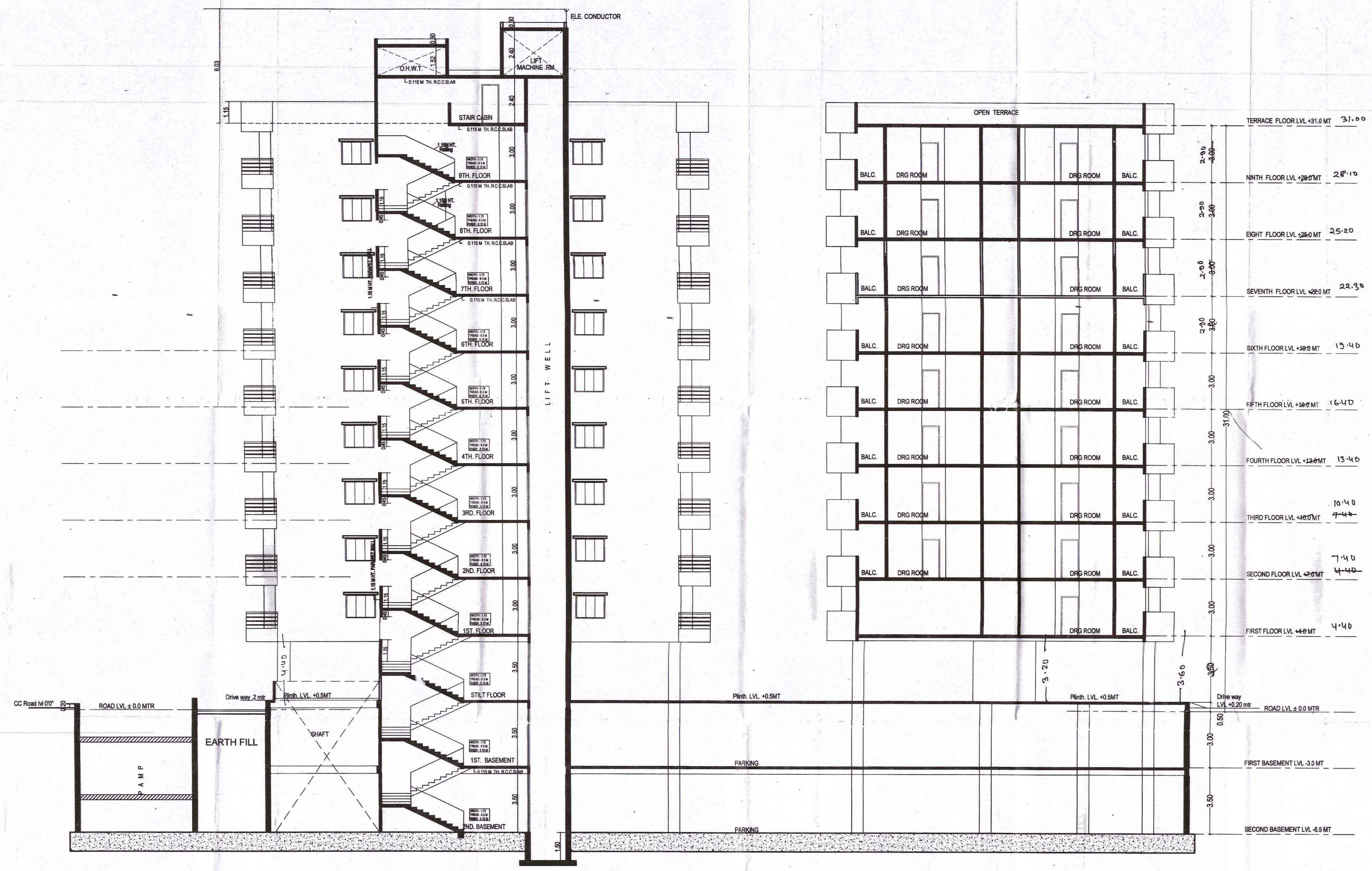

SECTION = A-A

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER No. F7/DTP/3311-22 DATED 10/5/16

भवन मानचित्र समिति की बैठक दि. 5/3/13 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार रेन वाटर हारवेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
कोटा

वर्तमान में द्वितीय मंजिल से नवी मंजिल तक (कुल स्टिल्ट + 27 मीटर ऊंचाई में) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ 7/एस.टी.पी./2016 3311-22 दिनांक 10/5/16 में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास.कोटा

PROJECT : PLAN SHOWING PROP. RESI. MULTI STOREY BUILDING AT - KHASRA NO. 2,3,4 VILLAGE RAMCHANDRAPURA, TEHSILE- LADPURA DIST.- KOTA	
OWNER : NAME OF OWNER:- M/S YASH AKSHAY BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD., KOTA	
DRAWING TITLE : ELEVATION SECTION	
SHEET NO. A-A' S-05	SCALE = 1:100
SIGN. OWNER For Yash Akshay Builders And Developers Pvt. Ltd. Director	SIGN. ARCHITECT GAJENDRA KR. YADAV ARCHITECT CA/2012/57394